कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्रशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132 लखनऊः दिनांकः 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वैधिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने से उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2019 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद (बोर्ड) लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बंधित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/जेन्डर सेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-2.4 में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संचालित कराने हेतु पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा संस्था विचार-विमर्श का निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

" संलग्नक–1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक–1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019–20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रम संख्या	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पूर्वसम्बद्धित (यदि है)/ सीकृतिकर्ता द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	मेसर्स [illegible] टेक्निकल इंस्टीट्यूट सीतापुर रोड, सुरहरपारा, लखनऊ-226104	1. डिप्लोमा इन [illegible] 2. डिप्लोमा इन [illegible] 3. डिप्लोमा इन [illegible] 4. डिप्लोमा इन [illegible] 5. डिप्लोमा इन [illegible]	60 60 60 60 60	60 60 60 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था [illegible] द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्थान अधिनियम 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद (विनियमावली 1995 तथा उसके तिहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (ट्यूशन इत्यादि पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, जो प्रवेश कमेटी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 41,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक मुश्त जो प्रवेश पाठ्यक्रमों [illegible] प्रवेश परीक्षी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रू0- 22,900.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रवेशक छात्र/छात्रा से प्रथम लिया जायेगा। छात्रवृत्ति के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में अन्य-मनमे दिए जाने हेतु निर्धारित किये जाने वाले मानकादेश उपलब्ध होंगे, और पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा चालू सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की एकीकरण की होगी।
- ✓ संस्था को [illegible] प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं तथा उच्च शिक्षितों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउंसलिंग की ही प्रवेश किये जायेंगे। छात्रों के विरुद्ध से उक्त की समिति से प्रवेश प्रवेश समय के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को शासन-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को [illegible] से आवश्यक कार्य हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्गत प्राविधिक शिक्षा (संशोधन, संशोधन प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सम्बद्धता यदि ऐ0सी0आई0 नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सम्बन्ध उत्तरदायित्व संस्था का होगा और डिप्लोमा धारक के किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उक्त प्रवेश प्रक्रिया को कोई पत्र प्रदान किया जाता है तथा उसका प्रवेश के संबंध में यह न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो उसका प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की होगी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संचालित कराने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, द्वारा प्रवेश संचालन द्वारा प्रवेशित छात्रों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व ऐ0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को पत्राचय उपलब्ध होना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश **(काउन्सिलिंग के माध्यम से अन्यथा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश)** अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नोटिफाइड आरक्षण नियमों का अनुपालन कराना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भवन, मानव-संसाधन, उपकरण, प्राप्त किये जाने वाला शुल्क, आवासीय शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञापन-अभिदान हेतु उपयुक्त मानकादेश उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न मीडिया को संस्था से संबंधित आवश्यक न्यायालय सूचनिकाएं उपलब्ध होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रवेशित/संचालित पाठ्यक्रम की मान्यता जारी रहे तथा निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, मूल-पत्रादि, उपस्थिति, पाठ्यक्रम इत्यादि का पाठ संस्था द्वारा किसी प्रकार छेड़छाड़ की संभावना से प्रयास किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था मान्यता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए तो नहीं है तो उपरान्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का पालनोपरान्त किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्रशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252 दि0 दिनांकः 15-5-2019

प्रतिलिपि-उपनिदेशक/निदेशक, विकासीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यालय, सीतापुर रोड, सुरहरपारा, लखनऊ-227105

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132 लखनऊः दि0दि0 18-8-2019

—कार्यालय ज्ञाप—

प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु विभिन्न स्ववित्तपोषित संस्थाओं को अनुमोदनादि प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2019 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की आपातकाल में परिषद आयोजित में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु प्राविधिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/परिवर्तन/प्रवेश क्षमता वृद्धि/शाखा हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के बिन्दु-3 में, विभिन्न पूल इंजीनियरिंग संस्थानों सहित अन्य सभी पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श का निम्नवत् निर्णय लिया गया —

" संलग्नक–1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक–1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा दिये गये निर्णय के क्रम में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं सशर्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :—

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/डीटीई द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible]	60 60 60 60 60	60 60 60 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/डीटीई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विनियम [illegible] उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ [illegible] तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा इसीलिए पाठ्यक्रमों हेतु रू0 22,500.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय व्यवसायी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (C वर्षीय व्यवसायी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 20,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही छात्रों/छात्राओं से शुल्क लिया जायेगा। छात्रों/छात्राओं से अतिरिक्त [illegible] शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। जहाँ निर्धारण समिति द्वारा फीस वर्ष 2019-20 हेतु अभी तक पुनर्निर्धारण किया जाना है तो फीस की गणितीय दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2006 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश की प्रवेश किया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/डीटीई के आवासी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था अपना प्रवेश शासन द्वारा बनाये गये नियमों/निर्देशों/प्रक्रियाओं/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्धारित प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, दिशा-निर्देशों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विभिन्न पूल कार्मिकी पाठ्यक्रम की सम्बद्धता दोनों डी.टी.ई.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त पायी है की इस संबंध में समस्त पूलसंस्थानों पर्यन्त इस द्वारा और विभिन्न केन्द्र से दिल्ली की परीक्षाओं के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उक्त्त प्रदेश शासन की कोई भी दायित्व लिया जाता है तथा दायित्व होने के संबंध में यह व्यवस्था द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त संबंधी जानकार निर्णय लिया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति स्वयंदेय संस्था द्वारा करनी होगी।
- ✓ विभिन्न इस कार्मिकी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व वेबसाइट(s) में अनुपालन कराना तथा परिषद कार्यालय को पत्राचार करना होगा अन्यथा पर्न्दे प्रवेश को **(काउन्सिलिंग के दायरण से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश)** अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम नियमों का अनुपालन कराना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की प्रोविजनल पूर्णिमूर्ति, संस्था, एआई-रूपरेखा, प्रवेशमण्डल, प्रवेश विषय वाले समय सूचना, आवासीय सूचना प्रदर्शित की विवरण प्रदर्शित होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान-प्रौद्योगिकी हेतु उपयुक्त प्रयोगशाला प्रवेशमण्डल सीमाने के साथ शैक्षिक सेवाओं से सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सामग्रियां सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करें कि वे किसी भी प्रकारांतर/संचालित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता आदि हेतु निर्धारण प्रक्रिया के समय प्रस्तावित बताये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण आदि का पर्याप्त संख्या द्वारा किसी प्रकार निरीक्षण के संचालन में प्रदान किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था अभिलेख का प्रयोग किसी प्रकार करने के लिए तब तक है तो संस्थान संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुपालन की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252 दि0 दिनांक: 18-8-2019

प्रतिलिपि–उपनिदेशक/निदेशक, जिलाधिकारी प्रशासन तीर्थस्थल आयोग, दीनदयाल उपाध्याय, चित्रकूट-210205

(अजीत कुमार सिंह)
सचिव

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या– प्रा०शि०प०/सम्बद्धता/2021/3537 | लखनऊ: दिनांक: 03/06/2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

संस्था का कोड एवं नाम : 4433-TRIDANDIDEV HANUMANT TECHNICAL COLLEGE, BISUPUR, KHANDWARI, CHANDAULI

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	[illegible] 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें:

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

[illegible]

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

[illegible]

- ✓ [illegible]

(सुनील कुमार चौहान)

सचिव

पृ०सं०- प्रा०शि०प०/सम्बद्धता/2021/3538-4809 | दिनांक: 09/06/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक: TRIDANDIDEV HANUMANT TECHNICAL COLLEGE, BISUPUR, KHANDWARI, CHANDAULI

(सुनील कुमार चौहान)

सचिव